महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
ज्ञान शांति मैत्री

डॉ. धरवेश कठेरिया
कुलसचिव
Dr. Dharvesh Katheriya
Registrar

आज़ादी का अमृत महोत्सव

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

पत्रांक : 04A/AD/अ.वि./2023-24/02/1920
दिनांक : 10-04-2024

सूचना

समस्त अधिष्ठाता /विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/अकादमिक निदेशक/केंद्र प्रभारी से अनुरोध है कि फरवरी 2024 में जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी है, प्रथम अकादमिक अध्यादेश क्रमांक 1.8 के अनुसार उन विद्यार्थियों के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करें –

1. किसी भी कार्यक्रम के प्रथम वर्ष (प्रथम छमाही) में यदि कोई विद्यार्थी असफल हो जाता है या उपस्थिति की कमी के अलावा अन्य कारणों से वार्षिक परीक्षा (छमाही परीक्षा) नहीं दी है, उसे उसी कार्यक्रम में पुन: प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि, उसे अगले वर्ष परीक्षा (अगले छमाही) में पूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकती है।
2. किसी भी कार्यक्रम के प्रथम वर्ष (प्रथम छमाही) में उपस्थिति की कमी के कारण यदि किसी विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका गया हो, तो वह आगे विभाग/विद्यापीठ का विद्यार्थी नहीं माना जाएगा। हालाँकि, ऐसे उम्मीदवार को अगले वर्ष प्रवेश के लिए पूरी प्रवेश प्रक्रिया से गुजरना होगा।
3. यदि कोई विद्यार्थी प्रथम वर्ष (प्रथम छमाही) में उत्तीर्ण होने के बाद उपस्थिति की कमी के कारण अगले सेमेस्टर की परीक्षा नहीं दी हो, तो उसे उसी सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकती है। यदि वह पुन: प्रवेश दिए जाने के बाद आवश्यक उपस्थिति को पूर्ण करने में विफल रहता है तो उसे पुन: परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका नहीं दिया जाएगा।
4. प्रथम वर्ष (प्रथम छमाही) के विद्यार्थियों के आलावा स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रम के सभी विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 15 दिनों के भीतर या निर्धारित अंतिम तिथि तक अपनी पुनः प्रवेश औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 02 के अंतर्गत process regarding admission/Examination के अनुसार अगली छमाही में प्रवेश हेतु विद्यार्थी को न्यूनतम 50% प्रश्नपत्रों की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।

नोट : अगली छमाही में प्रवेश हेतु विद्यार्थी को न्यूनतम 50% प्रश्नपत्रों की आंतरिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना अपेक्षित हैं।

17.04.24
कुलसचिव

प्रतिलिपि एवं सूचनार्थ :-

1. कुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
2. कुलसचिव कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
3. परीक्षा विभाग, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
4. समस्त अधिष्ठाता / समस्त विभागाध्यक्ष / केंद्र निदेशक / अकादमिक निदेशक / केंद्र प्रभारी
5. प्रभारी : लीला, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु ।
6. संबंधित फाइल ।

Scanned with CamScanner